

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या- /XXVII(7)/2008
देहरादून : दिनांक 15 जून, 2015

जी.के.एम. (सी.सी.)
25/6/15
11/5/15

54
25.06.15

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2015

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियमावली, 2008 के नियम-8, 9, 12 के उपनियम-1, 13 के उपनियम-1 एवं 5 में संशोधन।

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-8, 9, 12 के उपनियम-1, 13 के उपनियम-1 एवं 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम/उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

वर्तमान नियम

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-8. सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) के क्रय-

जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 15,000 (रु0 पन्द्रह हजार) तक हो,

नियम-8. सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) के क्रय-

जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 50,000 (रु0 पचास हजार) तक हो,

प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती है:-

“मैं-----व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा कय की गयी सामग्री -----अपेक्षित विशिष्टियों तथा गुणवत्ता के अनुरूप है और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित दरों पर कय की गयी है।”

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम

नियम-9. कय समिति के माध्यम से सामग्री का कय-

प्रत्येक अवसर पर ₹0 15.000 (₹0 पन्द्रह हजार) से अधिक तथा ₹0 1.00 लाख (₹0 एक लाख) तक लागत की सीमा में कय की जाने वाली सामग्री का कय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय कय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस कय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति कय प्रक्रिया में विशेष रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति कय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह कय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। कय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के

प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती है:-

“मैं-----व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा कय की गयी सामग्री -----अपेक्षित विशिष्टियों तथा गुणवत्ता के अनुरूप है और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित दरों पर कय की गयी है।”

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम

नियम-9. कय समिति के माध्यम से सामग्री का कय-

प्रत्येक अवसर पर ₹0 50.000 (₹0 पचास हजार) से अधिक तथा ₹0 3.00 लाख (₹0 तीन लाख) तक लागत की सीमा में कय की जाने वाली सामग्री का कय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय कय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस कय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति कय प्रक्रिया में विशेष रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति कय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह कय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। कय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के

सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेंगे:-

"प्रमाणित किया जाता है कि हमारा (1)----- (2)----- (3)----- का व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से समाधान हो गया है कि जिस सामग्री के कय की संस्तुति की गयी है वह अपेक्षित विशिष्टताओं और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गयी है, वह विश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री को आपूर्ति करने में सक्षम है।"

हस्ताक्षर,

(1)	(2)	(3)
नाम	नाम	नाम
पदनाम	पदनाम	पदनाम

नियम-12(1). समिति निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रु0 15.00 लाख (रु0 पन्द्रह लाख) तक हो।

नियम-13(1). रु0 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाय। रुपये 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार-पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये।

सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेंगे:-

"प्रमाणित किया जाता है कि हमारा निविदा में प्रतिभाग करने वाली किसी भी संस्था/एजेन्सी से निजी हित संलिप्त नहीं हैं (1)----- (2)----- (3)----- का व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से समाधान हो गया है कि जिस सामग्री के कय की संस्तुति की गयी है वह अपेक्षित विशिष्टताओं और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गयी है, वह विश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री को आपूर्ति करने में सक्षम है।"

हस्ताक्षर,

(1)	(2)	(3)
नाम	नाम	नाम
पदनाम	पदनाम	पदनाम

नियम-12(1). समिति निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रु0 60.00 लाख (रु0 साठ लाख) तक हो।

नियम-13(1). रु0 60.00 लाख (रुपये साठ लाख) तथा उससे अधिक, तक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाय। रु0 60.00 लाख (रुपये साठ लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार-पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये।

नियम-13(5). सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों के बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि से तीन सप्ताह, इनमें जो भी बाद में हो, दिया जाए। यदि विभाग विदेशों से भी निविदाएं प्राप्त करने की अपेक्षा करता है तो देशी और विदेशी दोनों निविदाओं के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह होगी।

नियम-13(5). सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों के बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि से दो सप्ताह, इनमें जो भी बाद में हो, दिया जाए। यदि विभाग विदेशों से भी निविदाएं प्राप्त करने की अपेक्षा करता है तो देशी और विदेशी दोनों निविदाओं के लिए न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह होगी।

3. नियम-31 निर्दिष्ट "कार्य के क्रियान्वयन" हेतु मानदण्ड में उप नियम-8 के पश्चात उप नियम-9 एवं नियम-33 के उपनियम-"च" के पश्चात "छ" का जोड़ा जाना।

नियम-31 निर्दिष्ट "कार्य के क्रियान्वयन" हेतु मानदण्ड:- नियम-31 निर्दिष्ट "कार्य के क्रियान्वयन" हेतु मानदण्ड में उप नियम-8 के पश्चात उप नियम-9 को जोड़ा जाना।

नियम-31(9) एक स्थान विशेष पर सम्पादित किए जाने वाले भवन निर्माण कार्यों की दरों में एकरूपता लाने हेतु राज्याधीन विभागों/कार्यदायी संस्थाओं/निगमों के द्वारा कराए जाने वाले भवन निर्माण कार्य के संबंध में निम्नवत् अनुमन्यता होगी:-

(i) राज्याधीन विभागों/कार्यदायी संस्थाओं/निगमों के लिए भी DSR लागू होगा और जो मदें DSR में नहीं हैं, उनके संबंध में SOR की दरें लागू होंगी।

(ii) DSR की दरों पर CPWD द्वारा उत्तराखण्ड हेतु जारी Price Index देय होगा और Index की गणना CPWD द्वारा उत्तराखण्ड हेतु जारी किए गए 39 स्थानों के अनुसार तथा इसके अतिरिक्त स्थानों के संबंध में CPWD द्वारा जारी नियमों के अनुसार की जायेगी।

(iii) विभागीय विशेषज्ञता वाले ऐसे मद (यथा सीवरेज, नलकूप संबंधी कार्य) जिसके संबंध में DSR/SOR में दरें उपलब्ध दरें उपलब्ध नहीं हैं, के संबंध में दर विश्लेषण एवं दर निर्धारण

संबंधित विशेषज्ञ विभाग (यथा सीवरेज कार्य के संबंध में पेयजल निगम एवं नलकूप के संबंध में सिंचाई विभाग) द्वारा ही तैयार कर जारी की जायेगी और प्रतिवर्ष उसे पुनरीक्षित किया जायेगा। तथापि, इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भी श्रम, संसाधन एवं संयंत्र (Labour Resources & Machines) की मूल दरें SOR में उपलब्ध संसाधनों की मूल दरों से ही ली जायेंगी।

नियम-33. निविदा करने की विधि के
उपनियम-च के बाद 'छ' का जोड़ा जाना

नियम-33 (छ). ऐसे प्रकरण जिनमें एकल निविदा प्राप्त होती है:-

(एक)- रु0 1.50 करोड़ तक की लागत के कार्यों के संबंध में मैनुअल निविदा आमंत्रण के अन्तर्गत प्रथम बार में प्राप्त एकल निविदा नहीं खोली जायेगी किन्तु दूसरा बार यदि एकल निविदा प्राप्त होती है तो उसे खोला जा सकेगा बशर्ते कि यह सुनिश्चित हो कि निविदा आमंत्रण के लिए सम्यक प्रक्रिया एवं प्रचार सुनिश्चित किया गया था। रु0 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के संबंध में ई-निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथम बार की निविदा में प्राप्त एकल निविदा भी खोली जा सकेगी बशर्ते कि यह सुनिश्चित हो कि निविदा आमंत्रण की सम्यक प्रक्रिया एवं प्रचार सुनिश्चित किया गया था।

(दो)- निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मुख्य निर्माण सामग्री यथा- सीमेन्ट, स्टील तथा पाईप आदि का कय सीधे सामग्री निर्माता अथवा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से किए जाने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सामग्री निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स (न्यूनतम 3) का एक पैनल तैयार कर उनके साथ ऐसी सामग्रियों की दर संविदा करने की स्वतन्त्रता रहेगी और स्थानीय कार्य अधिकारी द्वारा पैनल में सम्मिलित

सामग्री निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को सीधे आपूर्ति आदेश निर्गत कर सामग्री की अधिप्राप्ति की जा रहेगी।

(तीन)- पर्वतीय क्षेत्रों में निविदा की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में संसाधनों एवं सुविधाओं में कठिनाई उत्पन्न होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर सामग्रियों की अनुपलब्धता की स्थिति विद्यमान होने के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में रु० 1.50 करोड़ तक की लागत के कार्य 'विभागीय पद्धति' से कराये जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत सामग्री की अधिप्राप्ति यदि ऐसी सामग्री के लिए निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के साथ दर सविदा की गई है, तो ऐसे निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को आपूर्ति आदेश देकर अन्यथा 'विभागीय क्रय समिति' द्वारा बाजार सर्वे /कोटेशन के आधार पर दर प्राप्त कर आपूर्ति आदेश द्वारा की जायेगी। यंत्र/उपकरण की अधिप्राप्ति भी 'विभागीय क्रय समिति' के माध्यम से ही कोटेशन लेकर की जायेगी तथा श्रमिकों की व्यवस्था आईटम रेट आधार पर आउटसोर्सिंग/कार्यादेश के माध्यम से की जायेगी। इस पद्धति से कार्य सम्पादन करने की दशा में अधिप्राप्ति नियमावली के तत्संबंधी अन्य नियम शिथिल समझे जायेंगे।

4. मूल नियमावली के नियम-8, 9, 12 के उपनियम-1 एवं 13 के उपनियम-1 तथा 5 में संशोधन।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-8, 9, 12 के उपनियम-1 एवं 13 के उपनियम-1 तथा 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम/उपनियम रख दिये जाय, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

नियम-39. बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्कआर्डर) पर आधारित निर्माण

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-39. बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्कआर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य

कार्य-अधिप्राप्ति -सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1.00 लाख (रु0 एक लाख) तक लागत के कार्य करा सकता है। बिना निविदा/कार्यादेश के माध्यम से कार्य केवल आपात स्थिति में कराया जा सकता है, जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए।

नियम-58. गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन-

साधारणतया परामर्शदाता के चयन में एकल स्रोत चयन से बचा जाय क्योंकि इससे स्पर्धा का लाभ नहीं मिलता, चयन में पारदर्शिता का अभाव तथा अवांछनीय रीति को प्रोत्साहन मिलता है। फिर भी, किसी विशेष परिस्थिति में जहां पर्याप्त परिस्थितियों एवं औचित्यों के कारण संबंधित विभाग/संगठन के सम्पूर्ण हित में किसी विशेष परामर्शी का चयन करना आवश्यक हो, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार के एकल स्रोत के आधार पर परामर्शी के चयन के पूर्व, पूर्ण औचित्य अभिलिखित किया जाय तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। ऐसे प्रकरण, जिसकी लागत रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) से अधिक हो, एकल स्रोत चयन के पूर्व प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

-अधिप्राप्ति-सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 3.00 लाख (रु0 तीन लाख) तक लागत के कार्य करा सकता है। आपात स्थिति में बिना निविदा/कार्यादेश के माध्यम से रु0 5.00 लाख (पांच लाख) तक के कार्य कराये जा सकते हैं, जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए।

नियम-58. गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन-

साधारणतया परामर्शदाता के चयन में एकल स्रोत चयन से बचा जाय क्योंकि इससे स्पर्धा का लाभ नहीं मिलता, चयन में पारदर्शिता का अभाव तथा अवांछनीय रीति को प्रोत्साहन मिलता है। फिर भी, किसी विशेष परिस्थिति में जहां पर्याप्त परिस्थितियों एवं औचित्यों के कारण संबंधित विभाग/संगठन के सम्पूर्ण हित में किसी विशेष परामर्शी का चयन करना आवश्यक हो, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार के एकल स्रोत के आधार पर परामर्शी के चयन के पूर्व, पूर्ण औचित्य अभिलिखित किया जाय तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। ऐसे प्रकरण, जिसकी लागत रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख) से अधिक हो, एकल स्रोत चयन के पूर्व प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- ६० (1)/XXVII(7)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख/सचिव, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ✓ 11. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
14. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।